रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-203/2021/1982/22-2-2021-17(806)/2017

लखनऊ: दिनांक: 02 नवम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मिस बेंच रिट याचिका संख्या 18514/2019 डा0 गुरूमुख सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 के अनुपालन में केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूमुख सिंह (बन्दी संख्या-16679) पुत्र श्री जसवंत सिंह, निवासी-11ए, साउथ अनारकली एक्शटैंशन, थाना-कृष्णानगर, दिल्ली का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-1199/1998 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 20.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.06.2016 द्वारा यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 01.09.2021 तक 15 वर्ष 03 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 07 माह 16 दिन सपरिहार सजा काटी गयी, दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, आयु 59 वर्ष होने एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-203/2021/1982(1)/22-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली-110032।
3- पुलिस आयुक्त, दिल्ली-110031।
4- अपर पुलिस आयुक्त, शहादरा शालीमार पार्क, भोलानाथ नगर, दिल्ली-110032।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in